

451

बनाम:- (Borrower)

5738358/post/22



**PARWATI JI C/O JAGDISH RAM**

D/O JAGDISH RAM, BAVRIYO KA BAS SURPURA Parbatsar Parbatsar  
Rajasthan 341518

Date: 14-Feb-23

Borrower :- PARWATI JI C/O JAGDISH RAM D/O JAGDISH RAM, BAVRIYO KA BAS SURPURA Parbatsar Parbatsar Rajasthan 341518  
Co-Borrower-1 : BALVEER CHOUHAN C/O CHAMPA RAM S/O CHAMPA RAM JASWANTABAD JASWANTABAD NAGOUR 427  
JASWANTABAD MERTA MERTA Rajasthan 341510  
Co-Borrower- 2 : NIL

GTR - 1 : NAR SINGH C/O ANNA RAM

S/O ANNA RAM JASNAGAR JASNAGAR NAGOUR 427 JASNAGAR Parbatsar Parbatsar Rajasthan 341518

महोदय,

प्रार्थी एसके फाइनेंस लि. (पूर्व नाम एस. के. फिनकोर्प लि.) रजिस्टर्ड कार्यालय जी-1, जी-2 न्यू मार्केट खासा कोठी सर्किल जयपुर की ओर से आपको उक्त सूचना पत्र प्रेषित किया जाता है:-

- यह कि प्रार्थी एक गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी है, जो कम्पनीज अधिनियम 1956 के तहत रजिस्टर्ड है, जिसका कार्यक्षेत्र अपने ग्राहकों को वित्तीय सुविधा प्रदान करना है।
- यह कि आपके द्वारा ऋण अनुबन्ध संख्या 5738358 दिनांक 11-May-22 के तहत एसके फाइनेंस लि. से 163246/- रुपये की ऋण राशि अपने वाहन MAHINDRA BOLERO LX जिसका पंजीकरण संख्या RJ04UA0991 है, पर प्राप्त किया है। यह कि ऋण अनुबन्ध की सहमत नियम और शर्तोंनुसार, उक्त ऋण की अदायगी आपके द्वारा 6899/- रुपये की 33 नियमित मासिक/स्ट्रक्चर्ड किश्तों में की जानी थी।
- यह कि आप द्वारा प्रश्नगत वाहन कम्पनी के यहाँ हाईपोथिकेटेड किया गया एवं प्रश्नगत वाहन पर प्रथम चार्ज कम्पनी का था। निष्पादित ऋण अनुबन्ध में स्पष्ट रूप से तय पाया गया था कि तयशुदा शर्तोंनुसार समय पर अदायगी नहीं होने पर कम्पनी को प्रश्नगत वाहन अपने आधिपत्य में लेकर बेचान करने का अधिकार प्राप्त होगा।
- यह कि आपने अनुबन्ध के जरिये सहमति दी थी कि फाइनेंस राशि की किश्तों की नियमित रूप से अदायगी की जावेगी एवं जब तक अनुबन्ध की शर्तोंनुसार समस्त किश्तें अदा नहीं हो जाती वाहन अपने आधिपत्य में रखना एवं कम्पनी द्वारा मांग किए जाने पर निरीक्षण करवाना था।
- यह कि आपने वित्तीय सुविधा पर वाहन प्राप्त करने के पश्चात किश्तों का नियमित भुगतान नहीं किया एवं किश्तों की अदायगी में चूक कारित कर अनुबन्ध की शर्तों को भंग कर दिया। अनुबन्ध की शर्तों को भंग कर दिए जाने पर कम्पनी द्वारा उक्त वाहन को निष्पादित ऋण अनुबन्ध की शर्तोंनुसार/स्वेच्छा से / मोटर वाहन अधिनियम एवं नियमों की रूह में दिनांक 09-Dec-22 को अपने आधिपत्य में लिया गया। तथा उक्त अनुबन्ध में बकाया सम्पूर्ण राशि जमा कर वाहन प्राप्त करने हेतु नोटिस सूचना दी गयी परन्तु आप द्वारा उक्त सम्पूर्ण राशि जमा न कराने कम्पनी द्वारा प्रश्नगत वाहन MAHINDRA BOLERO LX रजिस्ट्रेशन नम्बर RJ04UA0991 इंजन नम्बर GA84E25636 एवं चैसिस नम्बर 82E34166 को अनुबन्ध की शर्तोंनुसार दिनांक 07-Jan-23 को 83000/- रुपये में बेचान कर बेचान से प्राप्त राशि को आपके खाते में समायोजित कर दिया गया, बेचान राशि को आपके खाते में समायोजित करने के पश्चात भी आपके जिम्मे कम्पनी की 148615/- रुपये की राशि बकाया निकलती है, जिसे कम्पनी आपसे प्राप्त करने की विधिक अधिकारी है।

अतः विधिक नोटिस प्रेषित कर आपको सूचित किया जाता है कि आप नोटिस दिनांक से 15 दिवस के भीतर कम्पनी को अपने जिम्मे बकाया राशि की अदायगी कर रसीद प्राप्त कर लें अन्यथा कम्पनी द्वारा अनुबन्ध की शर्तोंनुसार आपके विरुद्ध विधिक कार्यवाही करने के लिए विवश होना पड़ेगा जिसके समस्त परिणामों के लिए आप स्वयं जिम्मेवार होंगे।  
अतः सूचित रहे।

*(Signature)*

भवदीय

अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता

एसके फाइनेंस लि.

(पूर्व नाम एस. के. फिनकोर्प लि.)

(जी-1 एवं जी-2, न्यू मार्केट खासा, कोठी सर्किल जयपुर। 302001)

बनाम:- (Co-Borrower)

5738358/post/22

Date: 14-Feb-23

452



**BALVEER CHOUHAN C/O CHAMPA RAM**

S/O CHAMPA RAM JASWANTABAD JASWANTABAD NAGOUR 427

JASWANTABAD MERTA MERTA Rajasthan 341510

Borrower :- PARWATI JI C/O JAGDISH RAM D/O JAGDISH RAM, BAVRIYO KA BAS SURPURA Parbatsar Parbatsar Rajasthan 341518

Co-Borrower-1 : BALVEER CHOUHAN C/O CHAMPA RAM S/O CHAMPA RAM JASWANTABAD JASWANTABAD NAGOUR 427

JASWANTABAD MERTA MERTA Rajasthan 341510

Co-Borrower- 2 : NIL

GTR - 1 : NAR SINGH C/O ANNA RAM

S/O ANNA RAM JASNAGAR JASNAGAR NAGOUR 427 JASNAGAR Parbatsar Parbatsar Rajasthan 341518

महोदय,

प्रार्थी एसके फाइनेंस लि. (पूर्व नाम एस. के. फिनकोर्प लि.) रजिस्टर्ड कार्यालय जी-1, जी-2 न्यू मार्केट खासा कोठी सर्किल जयपुर की ओर से आपको उक्त सूचना पत्र प्रेषित किया जाता है:-

- यह कि प्रार्थी एक गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी है, जो कम्पनीज अधिनियम 1956 के तहत रजिस्टर्ड है, जिसका कार्यक्षेत्र अपने ग्राहकों को वित्तीय सुविधा प्रदान करना है।
- यह कि आपके द्वारा ऋण अनुबन्ध संख्या 5738358 दिनांक 11-May-22 के तहत एसके फाइनेंस लि. से 163246/- रुपये की ऋण राशि अपने वाहन MAHINDRA BOLERO LX जिसका पंजीकरण संख्या RJ04UA0991 है, पर प्राप्त किया है। यह कि ऋण अनुबन्ध की सहमत नियम और शर्तोंनुसार, उक्त ऋण की अदायगी आपके द्वारा 6899/- रुपये की 33 नियमित मासिक/स्ट्रक्चर्ड किश्तों में की जानी थी।
- यह कि आप द्वारा प्रश्नगत वाहन कम्पनी के यहाँ हाईपोथिकेटेड किया गया एवं प्रश्नगत वाहन पर प्रथम चार्ज कम्पनी का था। निष्पादित ऋण अनुबन्ध में स्पष्ट रूप से तय पाया गया था कि तयशुदा शर्तोंनुसार समय पर अदायगी नहीं होने पर कम्पनी को प्रश्नगत वाहन अपने आधिपत्य में लेकर बेचान करने का अधिकार प्राप्त होगा।
- यह कि आपने अनुबन्ध के जरिये सहमति दी थी कि फाइनेंस राशि की किश्तों की नियमित रूप से अदायगी की जावेगी एवं जब तक अनुबन्ध की शर्तोंनुसार समस्त किश्तें अदा नहीं हो जाती वाहन अपने आधिपत्य में रखना एवं कम्पनी द्वारा मांग किए जाने पर निरीक्षण करवाना था।
- यह कि आपने वित्तीय सुविधा पर वाहन प्राप्त करने के पश्चात किश्तों का नियमित भुगतान नहीं किया एवं किश्तों की अदायगी में चूक कारित कर अनुबन्ध की शर्तों को भंग कर दिया। अनुबन्ध की शर्तों को भंग कर दिए जाने पर कम्पनी द्वारा उक्त वाहन को निष्पादित ऋण अनुबन्ध की शर्तोंनुसार/स्वेच्छा से / मोटर वाहन अधिनियम एवं नियमों की रूह में दिनांक 09-Dec-22 को अपने आधिपत्य में लिया गया। तथा उक्त अनुबन्ध में बकाया सम्पूर्ण राशि जमा कर वाहन प्राप्त करने हेतु नोटिस सूचना दी गयी परन्तु आप द्वारा उक्त सम्पूर्ण राशि जमा न कराने कम्पनी द्वारा प्रश्नगत वाहन MAHINDRA BOLERO LX रजिस्ट्रेशन नम्बर RJ04UA0991 इंजन नम्बर GA84E25636 एवं चैसिस नम्बर 82E34166 को अनुबन्ध की शर्तोंनुसार दिनांक 07-Jan-23 को 83000/- रुपये में बेचान कर बेचान से प्राप्त राशि को आपके खाते में समायोजित कर दिया गया, बेचान राशि को आपके खाते में समायोजित करने के पश्चात भी आपके जिम्मे कम्पनी की 148615/- रुपये की राशि बकाया निकलती है, जिसे कम्पनी आपसे प्राप्त करने की विधिक अधिकारी है।

अतः विधिक नोटिस प्रेषित कर आपको सूचित किया जाता है कि आप नोटिस दिनांक से 15 दिवस के भीतर कम्पनी को अपने जिम्मे बकाया राशि की अदायगी कर रसीद प्राप्त कर लें अन्यथा कम्पनी द्वारा अनुबन्ध की शर्तोंनुसार आपके विरुद्ध विधिक कार्यवाही करने के लिए विवश होना पड़ेगा जिसके समस्त परिणामों के लिए आप स्वयं जिम्मेवार होंगे।  
अतः सूचित रहे।

भवदीय

अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता

एसके फाइनेंस लि.

(पूर्व नाम एस. के. फिनकोर्प लि.)

(जी-1 एवं जी-2, न्यू मार्केट खासा, कोठी सर्किल जयपुर। 302001)

453

बनाम:- (GTR)  
5738358/post/22

Date: 14-Feb-23



**NAR SINGH C/O ANNA RAM**  
S/O ANNA RAM JASNAGAR JASNAGAR NAGOUR 427 JASNAGAR  
Parbatsar Parbatsar Rajasthan 341518

Borrower :- PARWATI JI C/O JAGDISH RAM D/O JAGDISH RAM, BAVRIYO KA BAS SURPURA Parbatsar Parbatsar Rajasthan 341518  
Co-Borrower-1 : BALVEER CHOUHAN C/O CHAMPA RAM S/O CHAMPA RAM JASWANTABAD JASWANTABAD NAGOUR 427  
JASWANTABAD MERTA MERTA Rajasthan 341510  
Co-Borrower- 2 : NIL

GTR - 1 : NAR SINGH C/O ANNA RAM  
S/O ANNA RAM JASNAGAR JASNAGAR NAGOUR 427 JASNAGAR Parbatsar Parbatsar Rajasthan 341518

महोदय,  
प्रार्थी एसके फाइनेंस लि. (पूर्व नाम एस. के. फिनकोर्प लि.) रजिस्टर्ड कार्यालय जी-1, जी-2 न्यू मार्केट खासा कोठी सर्किल जयपुर की ओर से आपको उक्त सूचना पत्र प्रेषित किया जाता है:-

- यह कि प्रार्थी एक गैर बैंकिंग वित्तीय कम्पनी है, जो कम्पनीज अधिनियम 1956 के तहत रजिस्टर्ड है, जिसका कार्यक्षेत्र अपने ग्राहकों को वित्तीय सुविधा प्रदान करना है।
- यह कि आपके द्वारा ऋण अनुबन्ध संख्या 5738358 दिनांक 11-May-22 के तहत एसके फाइनेंस लि. से 163246/- रुपये की ऋण राशि अपने वाहन MAHINDRA BOLERO LX जिसका पंजीकरण संख्या RJ04UA0991 है, पर प्राप्त किया है। यह कि ऋण अनुबन्ध की सहमत नियम और शर्तोंनुसार, उक्त ऋण की अदायगी आपके द्वारा 6899/- रुपये की 33 नियमित मासिक/स्ट्रक्चर्ड किश्तों में की जानी थी।
- यह कि आप द्वारा प्रश्नगत वाहन कम्पनी के यहाँ हाईपोथिकेटेड किया गया एवं प्रश्नगत वाहन पर प्रथम चार्ज कम्पनी का था। निष्पादित ऋण अनुबन्ध में स्पष्ट रूप से तय पाया गया था कि तयशुदा शर्तोंनुसार समय पर अदायगी नहीं होने पर कम्पनी को प्रश्नगत वाहन अपने आधिपत्य में लेकर बेचान करने का अधिकार प्राप्त होगा।
- यह कि आपने अनुबन्ध के जरिये सहमति दी थी कि फाइनेंस राशि की किश्तों की नियमित रूप से अदायगी की जावेगी एवं जब तक अनुबन्ध की शर्तोंनुसार समस्त किश्तें अदा नहीं हो जाती वाहन अपने आधिपत्य में रखना एवं कम्पनी द्वारा मांग किए जाने पर निरीक्षण करवाना था।
- यह कि आपने वित्तीय सुविधा पर वाहन प्राप्त करने के पश्चात किश्तों का नियमित भुगतान नहीं किया एवं किश्तों की अदायगी में चूक कारित कर अनुबन्ध की शर्तों को भंग कर दिया। अनुबन्ध की शर्तों को भंग कर दिए जाने पर कम्पनी द्वारा उक्त वाहन को निष्पादित ऋण अनुबन्ध की शर्तोंनुसार/स्वेच्छा से / मोटर वाहन अधिनियम एवं नियमों की रूह में दिनांक 09-Dec-22 को अपने आधिपत्य में लिया गया। तथा उक्त अनुबन्ध में बकाया सम्पूर्ण राशि जमा कर वाहन प्राप्त करने हेतु नोटिस सूचना दी गयी परन्तु आप द्वारा उक्त सम्पूर्ण राशि जमा न कराने कम्पनी द्वारा प्रश्नगत वाहन MAHINDRA BOLERO LX रजिस्ट्रेशन नम्बर RJ04UA0991 इंजन नम्बर GA84E25636 एवं चैसिस नम्बर 82E34166 को अनुबन्ध की शर्तोंनुसार दिनांक 07-Jan-23 को 83000/- रुपये में बेचान कर बेचान से प्राप्त राशि को आपके खाते में समायोजित कर दिया गया, बेचान राशि को आपके खाते में समायोजित करने के पश्चात भी आपके जिम्मे कम्पनी की 148615/- रुपये की राशि बकाया निकलती है, जिसे कम्पनी आपसे प्राप्त करने की विधिक अधिकारी है।

अतः विधिक नोटिस प्रेषित कर आपको सूचित किया जाता है कि आप नोटिस दिनांक से 15 दिवस के भीतर कम्पनी को अपने जिम्मे बकाया राशि की अदायगी कर रसीद प्राप्त कर लें अन्यथा कम्पनी द्वारा अनुबन्ध की शर्तोंनुसार आपके विरुद्ध विधिक कार्यवाही करने के लिए विवश होना पड़ेगा जिसके समस्त परिणामों के लिए आप स्वयं जिम्मेवार होंगे।  
अतः सूचित रहे।

भवदीय

अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता

एसके फाइनेंस लि.

(पूर्व नाम एस. के. फिनकोर्प लि.)

(जी-1 एवं जी-2, न्यू मार्केट खासा, कोठी सर्किल जयपुर। 302001)